4 फारम सं0-563

आदेश क्रम कार्रवाई टिप्पणी संख्या	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

23 अमृत पासवान पिता स्व0 राम किशुन पासवान, निवास स्थान ग्राम-ओरिया, पोस्ट-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-ओरिया, थाना नं0-152, खाता संख्या-69 प्लॉट संख्या-2997 एवं 441 रकवा क्रमशः 0.0650 एकड़ एवं 0.04 एकड़ कुल रकवा 0.1050 एकड़ (10.50 डिसमिल) (दस दशलमव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि उमा देवी पति दिलीप राम, निवास स्थान ग्राम-ओरिया, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधित कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-591/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3257/रा0 दिनांक 01.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 224 दिनांक 06.02.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत चमना पासवान वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 3.91 एकड़ भूमि है। पंजी-।। अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 1.9475 एकड़ भूमि है। पंजी-।। के पृष्ठ संख्या-73/I पर खेमन पासवान के नाम से जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2016-17 तक निर्गत् है। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 1.8425 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को लाल रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में

अनुसूची–14 फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
1	2	3

प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2022–23 तक निर्गत् ऑनलाईन लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में अमृत पासवान पिता स्व0 राम किशुन पासवान, निवास स्थान ग्राम–ओरिया, पोस्ट–ओरिया, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के अन्तर्गत अंचल–सदर हजारीबाग, मौजा–ओरिया, थाना नं0–152, खाता संख्या–69 प्लॉट संख्या–2997 एवं 441 रकवा क्रमशः 0.0650 एकड़ एवं 0.04 एकड़ कुल रकवा 0.1050 एकड़ (10.50 डिसमिल) (दस दशलमव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि उमा देवी पति दिलीप राम, निवास स्थान ग्राम–ओरिया, थाना–मुफ्फसिल, जिला–हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.07.08 17:04:27 +05:30
Location: 192.168.0.101